राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

पत्र क्रमांकः एफ 14(52)/निपेवि/शिपाप्र/अभियान/12—13 2376-2525 दिनांक 21/12/12

समस्त विभागाध्यक्ष, आयुक्त
राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर

विषय : विभिन्न विभागों में लम्बित चल रहें पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाने बाबत्।

JD (Adm)

F. D. No. 75 ...PS/CCE/C
Dated 15-1-13

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में आया हैं कि कतिपय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन स्वीकृत नहीं हो रही हैं अथवा लम्बे समय से मात्र प्रोविजनल पेंशन मिल रही है।

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 78 से 82 के अन्तर्गत पेंशन प्रकरण तैयार करने की प्रक्रिया दी गयी है जिसके अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उनके अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृति से दो वर्ष पूर्व उनका पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सेवानिवृति से छः माह पूर्व पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाने का प्रावधान है । नियम 90 में ऐसे मामलों में अनन्तिम **(Provisional)** पेंशन प्रकरण नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ भिजवाने का प्रावधान है, जिनमें विभागीय जांच/न्यायिक वाद बकाया है । नियम 94(3) में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की सामयिक समीक्षा संबंधित क्षैत्रीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कर आवश्यक आदेश पारित करने का प्रावधान है। राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय पेंशनरी लाभों का भुगतान करने के उद्देश्य से पेंशन भुगतान प्रकिया को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2011 की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है ।

राज्य कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृति परिलाभ मिल सके, इसे सुनिश्चित करने हेतु उक्त प्रावधान किये गये है, परन्तु कई मामलों में समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को समय पर पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है एवं उनमें असंतोष पनपता है । ऐसी स्थिति में विधिक दायित्वों के साथ ब्याज की देयता भी बनती है ।

राज्य सरकार द्वारा स्थिति को गंभीरता को देखते हुए लम्बित पेंशन प्रकरणों को तैयार करवाकर इनके शीघ्र नियमानुसार निंस्तारण हेतु एक विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है । अतः आप से अनुरोध है कि :—

1. अभियान की अवधि(01.01.2013 से 28.02.2013 तक) में समस्त लम्बित पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग में भिजवाने, जटिल मामले सक्षम स्तर पर संदर्भित कर निर्णित कराने, पेंशन प्रकरण निस्तारण में आ रही कठिनाइयों के संबंध में संभाग स्तर पर पेंशन विभाग के अधिकारियों से सलाह लेने के निर्देश सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं क्षैत्रीय अधिकारियों को जारी करें ।
2. जिन मामलों में विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण लम्बित है, उन मामलों में विभागीय जांच का शीघ्र निस्तारण कराने की व्यवस्था करें, यदि जांच कार्मिक विभाग के स्तर पर लम्बित हो तो कार्मिक विभाग को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से स्मरण करवाकर निस्तारण हेतु प्रयास करावें ।
3. रा. सि. से. (पेंशन) नियम 1996 के नियम 94(3) के प्रावधानानुसार विभाग स्तर पर अभियान अवधि में पाक्षिक समीक्षा की व्यवस्था करते हुए, समीक्षा के परिणाम से पेंशन विभाग को भी अवगत करावें साथ ही आपके विभाग में पेंशन प्रकरणों के निपटारे हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या एवं ई—मेल पता भी अविलम्ब पेंशन विभाग को सूचित करावें ।

भवदीय

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 26 (पेंशन) एम/आयो/ निकाशि/94 / 159 निदेशक दिनांक 22 जनवरी, 2013

1 सयुक्त निदेशक, (प्रशासन), कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
2 प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
3 सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जोधपुर/जयपुर /कोटा / अजमेर/बीकानेर/उदयपुर
4 श्री धीरेन्द्र देवर्षि वेबसाइट प्रभारी, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार